145

- वित्त मंत्री को कुछ शिकायतें भेजी गयी थीं ;

- (ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; ग्रौर
- (ग) शिकायतों का स्वरूप ग्रौर क्यौरा क्या है?

स्ति मंद्रालय में उपमंत्रो (श्री जनाइंन पुतारो): (क) से (ग) बैंक स्नाफ बड़ौदा की वाराणसी स्थित राम कटोरा शाखा के शाखा प्रवन्धक द्वारा कथित रूप से तंग किए जाने की कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। बैंक के विरुठ अधिकारियों के माध्यम से इनकी जांच की गई थी। जांच से यह पता चला है कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं हैं। उपमह प्रवधक (निरीक्षण) और मुख्य सतकंता अधिकारी द्वारा भी जांच की गई थी और उन्होंने पाया कि ये आरोप झूठे और निराधार थे।

बैंककारो द्वेकंपनियां (उपकमों का स्रजन तथा स्रंतरण) स्रश्चित्यम, 1970 की धारा 13 के अनुसरण में और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं के स्रनुसरण में बैंहों के स्रलग-स्रलग ग्राहकों से मंबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इस-लिए शिकायत का स्वरूप और ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

बंक ग्राफ बड़ौदा, वाराणसी द्वारा स्वीकृत ऋण का न दिया जाना

751 श्री राम नरेश कुसबाहा : क्या विस्त मंद्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1982 और 3 फरवरी, 1982 को वाराणसी के दैनिक समाचार पत ''संमार्ग'' में प्रकाशित इस ग्रांशय के समाचार की ब्रोर दिलाया गया है कि एक मामले में बैंक ब्राफ बड़ौदा को वाराणसी शाखा द्वारा एक लाख दस हजार रुपये के स्वीकृत ऋण का भुगतान इसलिए नहीं किया गया था कि उस शाखा के मैंनेजर को रिश्वत नहीं दी गई थी; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; ब्रौर

to Questions

(ख) सरकार ने इस मामले में श्रव तक क्या कार्यवाही को है? े...

विस मंत्राह्य में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारों): (क) ग्रीर (ख) 14 जनवरी, 1982 ग्रीर 3 फरवरी, 1982 को वाराणसां से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "संमार्ग" में इस ग्रागय की एक समाचार टिप्पणी प्रकाशित हुई थी, कि बैंक ग्राफ बड़ौदा की वाराणसी साखा द्वारा 1,10,000/- रुपथे के एक स्वीकृत ऋण का भ्यातन इसलिए नहीं किया गया कि उस शाखा के मैनेजर को रिश्वत नहीं दी गई। बैंक आफ बड़ौदा ने सुचित किया है कि बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय से भेजे गए दो श्रधि-कारियों तथा बैंक के केन्द्रीय जांच विभाग से भेजे गए एक अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी है। उप-महाप्रबन्धक (निरोक्षण) तथा सतर्कता स्रधिकारी स्रौर मुख्य प्रवन्धक (सतर्कता) ने भी इस मामले की व्यक्ति-गत रूप से जांच की । निरीक्षकों को इस शिकायत में कोई तथ्य नहीं मिला। बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का भ्रौर ग्रंतरण) ग्रधिनियम, 1970 बैंकरों में प्रचलित प्रधास्रों एवं रिवाजों के ग्रनुसार बैंकों के ग्राहकों के मलग-मलग खातों के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।